भाग III

संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/33238/2018

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	जी हाँ। दिनांक 08.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया है। विस्तृत विवरण स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संलग्न है।
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताध की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर द्वारा सिंगरौली जिले एवं सीधी जिले के वन मण्डल सिगरौली एवं सीधी के कमशः वन परिक्षेत्र कर्थुआ, जियावन, बरगवां बहरी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में रीवा–सीधी–सिंगरौली नई बडी रेल लाइन परियोजना में वन मण्डल सिगरौली एवं सीधी की निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही है।

जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे. मे
सिगरौली	सिंगरौली	कर्थुआ	RF-848	6.67
			RF-774	8.92
			PF-845	8.92
			RF-847	6.31
			योग	**30.82**
		जियावन	RF-773	8.32
			PF-782	8.56
			PF-781	15.68
			PF-776	15.87
			योग	**48.43**
		बरगवां	PF-202	11.26
			PF-201	25.84
			PF-200	14.29
			PF-197	11.28
			योग	**62.67**
वन मण्डल सिगरौली अन्तर्गत कुल योग				**141.92**
सीधी	सीधी	बहरी	PF-946	5.73

			PF-932	17.84
			PF-942	10.75
			योग	34.32
वन मण्डल सीधी एवं सिगरौली कुल योग				**176.24**

वन मण्डल सिगरौली के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पीएफ–781, 782 वन मण्डल की कार्य आयोजना अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कारीडोर के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान है।

(अ). 2.47(9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो, जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थायी निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेगे।

(ब). 2.47(10) कारीडारे में स्थित कक्षों को यथा सम्भव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानान्तरित नहीं किया जाये, यदि ऐसा करना अवश्यम्भावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जाये।

व.म.अ. सिंगरौली द्वारा उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। तथा व.म.अ. सीधी द्वारा भी प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

अतः रीवा–सीधी–सिंगरौली नई बडी रेल लाइन परियोजना मे प्रस्तावित वन भूमि 176.240 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथि : 10-02-2023
स्थानः रीवा

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.
वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा म.प्र.